



2026:AHC:3759

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19762 वर्ष 2025

सुनील कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : हर्ष वर्धन पांडे, सत्य प्रकाश पांडेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश पांडे और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस. के. पाल के तर्कों को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति चाहता है, हालांकि, मुकदमा अपराध संख्या 573/2015 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 504, 506 और दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत लंबित होने के कारण, इसे वर्ष 2017 में सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। वह दिनांक 28.05.1997 के सरकारी आदेश के खंड 10 पर भरोसा करना चाहता है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा द्वितीय प्रतिवादी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, 19-सी विधान सभा मार्ग, लखनऊ, द्वारा उसके सचिव के माध्यम से किया जाना चाहिए।
4. उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह द्वितीय प्रतिवादी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, 19-सी विधानसभा मार्ग, लखनऊ, के सचिव के माध्यम से 22.01.2026 तक रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, द्वितीय प्रतिवादी सीलबंद लिफाफा खोलने के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा।

7 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.